जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला जयपुर
दीवानी वाद संख्या 161/2009
महावीर मीणा बनाम बनवारी मीणा व अन्य
एन.सी.वी नम्बर 1394/2014

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
18.09.2025	अधिवक्ता वादी श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम–1 श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम–2/1 से 2/4 व प्रतिवादी क्रम–3 व 6 श्री शुभम शर्मा उपस्थित। हस्तगत प्रकरण आज आदेश दिनांक 09.09.2025 की पालना मे प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादीगण को रसीदों की प्रति उपलब्ध करवाने एवं अन्यथा स्थिति में शपथ–पत्र देकर स्थिति स्पष्ट करने हेतु हेतु नियत है। प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से आदेश की पालना में ना तो रसीदों की प्रति वादीगण को उपलब्ध करवाई गई है और ना ही कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत कर इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट किया है। ऐसी स्थिति में अब प्रतिवादी संख्या–1 को उक्त रसीदों की प्रति पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है व पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जाती है। चूंकि प्रकरण न्यायालय के सर्वाधिक पुराने प्रकरणों मे सें होकर लक्षित प्रकरणों की सूची में है, जिनमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में शीघ्र विचारण किया जाना अपेक्षित है। अतः वादी को निर्देश दिए जाते हैं कि जिन गवाहान को साक्ष्य में परीक्षित करवाना हो उनके मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्रों की नकल विरोधी पक्ष को तारीख पेशी से पूर्व उपलब्ध करवाते हुए गवाहान को अव्वल वक्त उपस्थित रखें ताकि अनावश्यक स्थगन से बचा जा सके। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 23.09.2025 को पेश हो।	